न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी० 2, आजमगढ़।

सत्र परीक्षण संख्या– 530/2015

राज्य प्रति पवन कुमार श्रीवास्तव

मु०अ०सं०–539/1995

धारा– 25 आयुध अधिनियम

थाना–कोतवाली, जनपद–आजमगढ़।

<u>आरोप</u>

मैं सौरभ सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी० कोर्ट सं०–2, आजमगढ़ आप अभियुक्त पवन कुमार श्रीवास्तव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

प्रथम– यह कि दिनाँक 21–10–1995 को समय 23–15 बजे बहद स्थान मोहल्ला अनन्तपुर कटरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ में थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ मय पुलिस बल द्वारा आपके कब्जे से एक अदद कट्टा व 6 कारतूस 303 बोर, एक कट्टा व 5 कारतूस 303 बोर बरामद किया गया जिसको रखने का आपके पास कोई लाइसेन्स नहीं था। इसप्रकार आपने **25 आयुध अधिनियम** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव एतद्द्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

<u>दिनाँकः15–07–2022</u>

(सौरभ सक्सेना)
(आई०डी०नं०–UP 1753)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी० कोर्ट नं०–2,
आजमगढ़।

आरोप अभियुक्त को पढ कर सुनाया एवं समझाया गया।अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की मांग की गयी।

<u>दिनाँकः15–07–2022</u>

(सौरभ सक्सेना)
(आई०डी०नं०–UP 1753)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी० कोर्ट नं०–2,
आजमगढ़।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी० 2, आजमगढ़।

सत्र परीक्षण संख्या– 530/2015

राज्य प्रति पवन कुमार श्रीवास्तव

मु०अ०सं०–539/1995

धारा– 25 आयुध अधिनियम

थाना–कोतवाली, जनपद–आजमगढ़।

<u>**दिनाँक–15–07–2022**</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त पवन कुमार श्रीवास्तव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है ।

आरोप के बिन्दु पर सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों को विस्तार से बताया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम, का आरोप बनाये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम का आरोप बनता है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आरोप विरचित किया गया तथा आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं परीक्षण की मांग किया ।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनाँक 23–08–2022 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हों ।

(सौरभ सक्सेना)
(आई०डी०नं०–UP 1753)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी० कोर्ट नं०–2,
आजमगढ़।